



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1989/आषाढ 14, 1911
No. 360] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1989/ASADHA 14, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1989

सा. का. नि. 681(अ) :—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में पारादीप पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) द्वितीय संशोधन विनियम, 1989 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिनियम के सरकारो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं.पी.आर.-12011/1/89-पी.ई.।]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

अनुसूची

पारादीप पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1989

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन की न्यासी बोर्ड "पारादीप पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) विनियम, 1967" के संशोधन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

1. लघु शीर्ष :- इन विनियमों को "पारादीप पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1989" कहा जाएगा ।

2. "पारादीप पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) विनियम 1967" के विनियम 4 के शर्तों के बदले निम्नलिखित शर्तों को प्रतिस्थापित किया गया ।

"परन्तु उपर्युक्त कोई भी संशोधन मौजूदा नियम और आदेश पर पूर्णतया या आंशिक रूप से या कोई परिवर्तन या संशोधन यदि बोर्ड करती है तो ऐसे कर्मचारी पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक बोर्ड केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करती हो" ।

नोट:- (1) मुख्य विनियम अर्थात् "पारादीप पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) विनियम 1967" भारत के राजपत्र दिनांक 1 नवम्बर, 1967, जी.एस.आर.सं. 1668 में प्रकाशित किए गए ।

(2) प्रथम संशोधन अर्थात् "पारादीप पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) (संशोधन) विनियम, 1975" जी.एस.आर.सं. 607 दिनांक 1 फरवरी, 1975 में प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1989

G.S.R. 681(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port

Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust (Adaptation of Rules) (Second Amendment) Regulations, 1989 made by the Board of Trustees for the Port of Paradip and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12011/1/89-PE. II]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

PARADIP PORT TRUST (ADAPTATION OF RULES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 1989

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Paradip hereby make the following regulations to amend the "Paradip Port Trust (Adaptation of Rules) Regulations, 1967".

1. Short title.—These Regulations may be called "Paradip Port Trust (Adaptation of Rules) (Second Amendment) Regulations, 1989".

2. For the proviso to Regulation 4 of "Paradip Port Trust (Adaptation of Rules) Regulations, 1967" the following proviso shall be substituted :

"Provided that any amendment aforesaid to the existing Rules and Orders, either wholly or partly, or any alteration or amendment if made by the Board shall not be made applicable to such employee unless the Board obtains the previous sanction of the Central Government."

NOTE : (1) The Principal Regulations namely "Paradip Port Trust (Adaptation of Rules) Regulations, 1967" were published vide G.S.R. No. 1668 in the Gazette of India dated the 1st November, 1967.

(2) The first amendment namely, "Paradip Port Trust (Adaptation of Rules) (Amendment) Regulation 1975" were published vide G.S.R. No. 607 dated the 1st February, 1975;